क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सिंचाई परिकल्प भवन परिसर,रूडकी –247667

Dy.No. 10244
Date 4.3.2017

पत्रांक–यूईपीपीसीबी / आर0ओ0आर0 / एनओसी–828 / 2017 / 1752 दिनांकः 27/02/17

सेवा में, पंजीकृत डाक

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

विषयः– मै0 लक्ष्मी शुगर मिल कम्पनी लि0 युनिट इकबालपुर जनपद हरिद्वार स्थापित आसवानी इकाई की क्षमता 40 कि0ली0 / दिन से तथा को–जनरेशन पावर प्लांट की क्षमता 2.00 मेगावाट से किये जाने हेतु प्रस्तावित परियोजना की आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय से बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त निदेशानुसार मै0 लक्ष्मी शुगर मिल कम्पनी लि0 युनिट इकबालपुर जनपद हरिद्वार स्थापित आसवानी इकाई की क्षमता 40 कि0ली0 / दिन से तथा को–जनरेशन पावर प्लांट की क्षमता 2.00 मेगावाट से किये जाने हेतु प्रस्तावित परियोजना की आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 06.01.17 को अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त मूल रूप में तीन सैट फोटोग्राफ व डीवीडी व उपस्थिति पंजिका की प्रतिलिपि को संलग्न करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् किया जा रहा है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार को कायवृत्त की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ प्रेषित्।
2. एस0डी0एम, भगवानपुर को कायवृत्त की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ प्रेषित्।

क्षेत्रीय अधिकारी

महत्वपूर्ण
VDC
Ris. Patel
07.3.17
6/3
7/3/17
EE

.01.2017 को समय 2–00 बजे अपरान्ह मैसर्स लक्ष्मी शुगर मिल्स 0 यूनिट इकबालपुर जनपद हरिद्वार स्थापित आसवनी इकाई की क्षमता कि0ली0/दिन से तथा को–जनरेशन पावर प्लांट की क्षमता 2.00 मेगावाट से किये जाने हेतु प्रस्तावित परियोजना की आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः–

1. डॉ0 ललित नारायण मिश्र (अध्यक्ष/अपर जिलाधिकारी), जनपद हरिद्वार
2. श्री अनिल सिंह गर्ब्याल एस0डी0एम0 तहसील भगवानपुर जनपद–हरिद्वार
3. श्री प्रदीप जोशी क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरिद्वार
4. श्री राजकुमार चर्तुवेदी सहायक–क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरिद्वार
5. श्री जसविन्दर सिंह, उपाध्यक्ष–ओपरेसन्स मैसर्स लक्ष्मी शुगर मिल्स कं0 लि0 यूनिट इकबालपुर जनपद हरिद्वार
6. श्री मनमोहन शर्मा–उपाध्यक्ष–को0 मैसर्स लक्ष्मी शुगर मिल्स कं0 लि0 यूनिट इकबालपुर जनपद हरिद्वार
7. डा0 मनोज गर्ग एवं डा0 सौरभ गुप्ता पर्यावरण सलाहकार।
8. अन्य ग्रामवासीगण उपस्थित जन साधारण की उपस्थिति पंजिका पर संलग्न है।

दिनांक 06.01.2017 को समय 2–00 बजे अपरान्ह उद्योग परिसर में आयोजित की गयी। मैसर्स लक्ष्मी शुगर मिल्स कं0 लि0 यूनिट इकबालपुर जनपद हरिद्वार स्थापित आसवनी इकाई की क्षमता 40 कि0ली0/दिन से तथा को–जनरेशन पावर प्लांट की क्षमता 2.00 मेगावाट से किये जाने हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त हुआ था। बोर्ड द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2016 के अनुपालन में लोक सुनवाई दिनांक 06.01.2017 को आयोजित की गई। उक्त सूचना उक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानो के अन्तर्गत सुनवाई की तिथि से एक माह पूर्व दैनिक समाचार पत्र क्रमशः टाइम्स आफ इण्डिया एवं शाह टाइम्स में दिनांक 05.10.2016 को प्रकाशित करायी गयी थी, परन्तु अपरिहार्य कारणो से सुनवाई दिनांक 05.11.2016 को स्थगित कर दी गई थी जो कि पुनः समाचार पत्र क्रमशः टाईम्स आफ इण्डिया एवं शाह टाइम्स में दिनांक 29.11.2016 में प्रकाशित करते हुए दिनांक 06.01.2017 को लोक सुनवाई नियत की गयी।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में श्री पी0के0 जोशी क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रुडकी (उत्तराखण्ड) द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेने के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया तथा बताया गया कि उद्योग द्वारा प्राप्त करायी गयी पर्यावरण प्रबन्धन योजना में दिये गये बिन्दुओं जैसे–जल– वायु/ध्वनि/ जलीय जीव–जन्तुओं/वनस्पतियों का अध्ययन प्रस्तावित स्थल से 10 किमी0 की

किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पर्यावरण प्रभाव के संबंध में ना के अधिकृत पर्यावरणीय सलाहकार डा0 मनोज गर्ग पर्यावरण हकार से परियोजना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालने हेतु आग्रह किया या।

तत्क्रम में पर्यावरणीय सलाहकार डा0 मनोज गर्ग द्वारा परियोजना के संबंध में अवगत कराया गया कि परियोजना में स्थापित आसवनी इकाई की क्षमता 40 कि0ली0/दिन (आर एस0/ई0 एन0 ए0/एए) तथा को–जनरेशन पावर प्लांट की क्षमता 2.0 मेगावाट किया जायेगा एवं ईधन की खपत लगभग 107.52 टन/दिन बैगास एवं स्लोप (सान्द्रित स्पैंट वाश) 133 के.एल.डी. है तथा जल की खपत 374 के.एल.डी. प्रस्तावित हैं उद्योग में आसवनी इकाई का संचालन कान्टीनिवस फरमनटेशन/डिस्टलेशन प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। यह भी अवगत कराया गया कि उक्त कार्य से उत्पन्न जल प्रदूषण के नियत्रण हेतु शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था प्राविधानित है, के अनुसार उक्त परियोजना से जनित स्पेन्टवाश 320 घनमीटर/दिन को फाइव स्टेज मल्टी इफेक्ट इवोपोरेटर के द्वारा सान्द्रित करते हुए सान्द्रित स्पेन्टवाश (स्लोप) जो लगभग 133 के.एल.डी. जनित होगा को 18 टी0पी.एच. क्षमता के एक स्लोप फायर्ड ब्वायलर में बैगास के साथ मिक्स करके इन्सनरेट कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उद्योग से जनित अन्य उत्प्रवाह कण्डनसेट वाटर, स्पेन्ट लीस, फ्लोर वाशिंग आदि उत्प्रवाह जो लगभग 461 के.एल.डी. जनित होगा, को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र के माध्यम से शुद्धिकृत करके प्रक्रिया में पुनः प्रयोग (मौलेसेस डायल्यूशन, मेकअप कूलिंग वाटर आदि) में किया जायैगा। इस प्रकार उद्योग द्वारा औद्योगिक प्रक्रिया से किसी भी प्रकार के उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं किया जायेगा।

यह भी अवगत कराया गया कि वायु प्रदूषण का स्रोत एक 18 टी.पी.एच. क्षमता के स्लोप फायर्ड ब्वायलर से जनित उत्सर्जन, फ्लाई ऐश आदि से है जिसके पार्टीकुलेट मैंटर के नियंत्रण हेतु बॉयलर से संबद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से 50 मी0 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रुप में बैग फिल्टर की व्यवस्था स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिससे उत्सर्जित सांर्दण बोर्ड मानको के अनुरुप होगा। इसके अतिरिक्त फ्लाई ऐश लगभग 21.56 टन/दिन तथा फरमेन्टर स्लज 18 टन/दिन जनित होगा जिसको कृषि कार्यो में खेतों में खाद (फर्टिलाइजर) के रुप में प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है, साथ ही अवगत कराया गया कि उद्योग के आसपास परिवेशीय ध्वनि का आंकलन कराया गया जो पूर्णरुप से मानकों के अनुरुप है। उद्योग द्वारा परिवेशीय वायु तथा ध्वनि के नियंत्रण हेतु ग्रीन बेल्ट की स्थापना भी की जायेगी।

उद्योग विस्तारीकरण प्रक्रिया के फलस्वरुप सामान्य जन–जीवन पर अधिप्रभाव पडना स्वाभाविक है। औद्योगिकीकरण में प्रगति के फलस्वरुप आसपास क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामान्य जन उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता, शैक्षिक स्वास्थ्य एवं रहन–सहन में समानुपातिक परिवर्तन होना स्वाभाविक है। उद्योग की स्थापना प्रक्रिया में कार्यरत कार्मिकों हेतु समुचित पेयजल तथा घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण का प्रभावी प्रबन्धन किया जाना उचित है। जिससे आसपास के वातावरण पर इसके कारण प्रभाव न पडे।

2

अवगत कराया गया कि प्रस्तावित उद्योग के पावंर प्लांट से निकलने राख को नियंत्रित करने के लिये बैग फिल्टर की स्थापना किये जाना ावित है।

यह भी अवगत कराया गया कि उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने में अनदेखी न की जाये।

इस सम्बन्ध मे अवगत कराया गया कि उद्योग प्रबन्धन एवं परामर्शी द्वारा बताया गया कि दिये गये प्रदूषण नियन्त्रण प्रस्तावों का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जायेगा।

5– श्री हर्षवर्धन निवासी ग्राम बेहेडकी सैदाबाद द्वारा कहा गया कि

जैसा कि आपको पता होगा कि मंसूरपुर मिल में डिस्टलरी लगी है अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसकी दुर्गन्ध से उसकी आंखे खुल जाती है और पता चल जाता है कि यहां पर आसवनी लगी है।

इस सम्बन्ध में परामर्शी द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित ईकाई में बॉयों कम्पोस्टिंग नहीं की जायेगी जो कि दुर्गन्ध का कारण होती है।

प्रस्तावित उद्योग में आधुनिकतम तकनीक पर आधारित जल प्रदूषण नियन्त्रण हेतु कंसनट्रेशन एवं इनसिनेरेशन की स्थापना प्रस्तावित है इसके उपरान्त किसी भी प्रकार की दुर्गध हमारे उद्योग से नहीं होगी।

6–चौधरी श्री राजपाल सिंह, निवासी ग्रम मानकपुर द्वारा कहा गया कि:–

गन्ना भुगतान के बारे में चर्चा की गयी।

मिल प्रबन्धन श्री जसविन्दर सिंह द्वारा बताया गया कि इस उद्योग के लगने से गन्ने की पैमेन्ट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। प्रस्तावित उद्योग के लगने से ईकाई की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा जिसका लाभ क्षेत्रीय किसानो को भी मिलेगा।

7–श्री जोधपाल सिंह निवासी ग्रम शेरपुर– जो प्लांट लगाने जा रहा है उसका प्रस्ताव बहुत बढिया है वैसे भी मिल का पानी बाहर नहीं जाता हैं पानी को फिल्टर करके वही दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं।

प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित ईकाई के समर्थन हेतु धन्यवाद किया गया।

8–श्री बिजेश कुमार निवासी ग्रम खानपुर द्वारा कहा गया कि आसवनी ईकाई की स्थापना करने के लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा मानना है कि इस इकाई से हमें कुछ लाभ ही होगा। हम प्रस्तावित ईकाई का समर्थन करते है परन्तु इससे पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न पडे। फैक्ट्री लग रही है तो अच्छी बात है आसवनी से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका फायदा किसानो को मिलना है जो किसान मिल में गन्ना डालते है। इससे पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा से सहमत है ऊर्जा स्रोत है आसवनी लगा दी जाये।

9–श्री सुशील निवासी ग्रम बेहडेकी सैदाबाद द्वारा बताया कि ग्राम बेहडकी सैदाबाद में स्थापित हैण्डपम्प में जल प्रदूषित हो गया है।

नर्शी द्वारा बताया गया कि गांव में स्थापित हैण्डपम्प गांव में स्थापित के निकट स्थापित है जिसमें आस–पास के पूरे गांव की गंदगी उक्त ाबों में जाती है, जिसके कारण वहां के हैण्डपम्प प्रदूषण होने की संभावना है तथा परामर्शी द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित आसवनी द्वारा किसी भी प्रकार का जल परिसर के बाहर नहीं निकाला जायेगा उद्योग शून्य उत्प्रवाह पर आधारित है।

लोक सुनवाई में अन्य लोगों ने भी लिखित रुप में अपने मत प्रस्तुत किये जो कि संलग्नक है।

1–श्री प्रवीण कुमार–ग्रम सुनहेटी,
2–श्री ईश्वर पाल–ग्राम अमरपुर
3–श्री प्रदीप कुमार –ग्राम बालेकी

उपरोक्त के द्वारा प्रस्तावित उद्योग को लगाने हेतु सहमति जतायी एवं समर्थन पत्र दिया।

अन्त में लोक सुनवाई में उपस्थित स्थानीय किसान एंव अन्य व्यक्तियों से प्रस्तावित ईकाई के पक्ष में मत विभाजन हेतु आग्रह किया। तत्पश्चात अधिकांश लोगो ने हाथ उठाकर प्रस्तावित उद्योग को स्थापना हेतु सहमति प्रकट की।

प्रबन्धन जसविन्दर सिंह–उपाध्यक्ष–ओपरेशन्स व मनमोहन शर्मा उपाध्यक्ष–कॉरपोरेट ने लोक सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों एवं उपस्थित क्षेत्रवासियों का आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय से सभा समाप्त किये जाने के पश्चात समस्त को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई की समाप्त की घोषणा की गयी।

उपरोक्त कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित।

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
सहा0 वैज्ञा0 अधिकारी

(प्रदीप कुमार जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

(अनिल सिंह गर्ब्याल)
एस0डी0एम0
भगवानपुर

(डॉ0ललित नारायण मिश्र)
अपर जिला अधिकारी
वित्त एवं राजस्व,हरिद्वार

दिनांक 6-1-2017

आज दिनांक 6-1-2017 में इम्बालपुर में आसवानी की संदर्भ में मेरा निम्न विचार है।

1. जैसा आपने बताया यह प्लान मॉडल है इसका प्याकाश।
2. इस प्लांट से इलाके को रोजगार मिलेगा,
3. आसवानी की प्रोफिट से इलाके की तरक्की होगी

प्लान लगना चाहिए

प्रवीन कुमार
सुन्दरी

महोदय,

स्थानीय लोगो का उद्योग लगने से काफी फायदा होगा क्योंकि इससे वायु प्रदूषण व पानी पर कोई असर नही होगा उद्योग लगने से बेरोजगार को काम मिलेगा

प्रार्थी

प्रदीप कुमार

8755900152
9837516555

दिनांक - 6-1-2017

महोदय,

आप जो इकबालपुर में आसवानी लगाने जा रहे मुझे पूर्ण रूप से समर्थन क्योंकि जैसे-2 समय बिता रहा नयी टम्नोजी लग रहे। तथा हमें पूर्ण समर्थन हो तथा लगानी चाहिए।

ईश्वर प्राल
अमरपुर
9720246503

का भुगतान समय पर होना चाहिए।
गली प्रोजक्ट की भांति लोन लेकर किसानों का पैसा प्रोजक्ट
में ना लगाया जिस से आने वाले समय में किसानों को गन्ना
भुगतान में जाये परेशानी का सामना ना करना पड़े।

③ मिल द्वारा जिस रेट में गन्ना बहार से नगद खरीदा जा रहा है उसी रेट पर क्षेत्र के किसानों को नगद गन्ना खरीदा जाये।

④ डिस्टलरी लगाने में सभी मानकों की जाँच प्रशासन के द्वारा की जाये। जिस से आने वाले समय में क्षेत्र के किसानों को परेशानी ना हो।

⑤ डिस्टलरी से किसी प्रकार का प्रदूषित नदी होना चाहिए जिस की जाँच प्रशासन के द्वारा पहले की जानी चाहिए

धन्यवाद सह
राजदीप अध्यक्ष
उत्तराखण्ड किसान मोर्चा

06/01/16

⇒ ठोस अपशिष्ट निराकरण
एवं सम्भावनाये

⇒ पावर पलांट से उडने वाले राख
का निस्तारण

⇒ ~~पावर ट्रीटमेंट प्लांट~~

हर्ष वर्धन
कृष्ण प्रिय गौ धाम
बेहोशी सैदाबाद
इकबालपुर
मो०- 9456721670

Dtyagi